माननीय रीतु बहरी, न्यायाधीश के समक्ष

मनीष जैन — याचिकाकर्ता

बनाम

सुरेंदर सिंह — प्रतिवादी

सीआरएमएम संख्या **26819 2012** का

25 फरवरी, **2015**

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** — धारा **319** और **482** — परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** — धारा **138, 141** — चेक का अनादरण — निदेशक की दायित्व — प्रतिनिधित्व दायित्व — याचिकाकर्ता जो कंपनी के निदेशक हैं, उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए — चेक कंपनी के नाम पर बनाया गया — शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की — कंपनी को पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया — शिकायत और सम्मन आदेश को खारिज करने की मांग की गई — याचिका मंजूर की गई — यह माना गया कि चेक कंपनी द्वारा जारी किए गए थे और याचिकाकर्ता ने उसकी ओर से हस्ताक्षर किए थे — कंपनी को अपराध करने वाली माना जाएगा — कंपनी को पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया — याचिकाकर्ता जो कंपनी के निदेशक हैं, उनके खिलाफ शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है — आगे यह माना गया कि धारा **319** सीआरपीसी का इरादा कार्यवाही में असंगति को ठीक करने के लिए नहीं है — तर्क कि धारा **319** सीआरपीसी के तहत आवेदन लंबित है, जिसमें कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल करने की बात को अस्वीकार किया गया।

यह माना गया कि इस मामले में, शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 23, दिनांक 10-1-2012 (पी-13) दर्ज की थी। यह शिकायत (स्ट) प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा धारा 138 के तहत दायर की गई थी जो केवल एम/एस. सांतुर सिटी (पी.) लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ थी, जिसे पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता जो कंपनी के निदेशक हैं, उन्होंने केवल चेक पर हस्ताक्षर किए थे और खाता कंपनी का था। शिकायतकर्ता स्वयं बनाए रखने योग्य नहीं था।

(पैराग्राफ 27)

आगे यह भी निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी के वकील का दूसरा तर्क, जिसमें सूचित किया गया है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत उनका आवेदन, जिसमें कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल किया जाना है, अभी भी निचली अदालत में लंबित है ताकि तकनीकी खामी को दूर किया जा सके, उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 के प्रावधान की व्याख्या मद्रास उच्च न्यायालय ने सूर्यनारायण बनाम एंकर मरीन सर्विस 1998(94) कम्प. कास. 874, आनंदन बनाम अरिवाझगन 1998(1) बीसी 573 और एस. विश्वनाथन बनाम युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड 1999(97) कम्प कास 922 के मामलों में की है और यह निश्चित किया गया है कि जब शिकायत में शुरुआती दोष होता है तो उसे कार्यवाही में संशोधन करके ठीक नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 319 निश्चित रूप से किसी अन्य आरोपी को शामिल करने की अनुमति देता है, जो अपराध के संचालन में भागीदार था, लेकिन ऐसे सह-आरोपी को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शामिल करने का

अन्य आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के बनाए रखने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 319 सीआरपीसी का इरादा कार्यवाही में असंगति को ठीक करने के लिए नहीं है बल्कि केवल अपराध के संचालन में उनकी भूमिका के प्रकाश में आने के बाद जब अदालत के सामने साक्ष्य थे, तब सभी दोषियों को अदालत के सामने लाना है।

(पैराग्राफ 28)

आगे यह भी निर्धारित किया गया कि इस मामले में, आरोपित चेक शिकायत (पी-13) का हिस्सा थे और राशि कंपनी के खाते से नामंजूर की जानी थी, जिसे पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए धारा 138 और 141 के अनुसार, शिकायत स्वयं याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है, जो कंपनी के निदेशक हैं।

(पैराग्राफ 30)

याचिकाकर्ता के लिए आलोक जग्गा, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए दविंदर बीर सिंह, अधिवक्ता।

रीतु बहरी**,** न्यायाधीश।

(1) धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह याचिका शिकायत संख्या 23 दिनांक 10.01.2012 (पी-13) को रद्द करने के लिए है जो प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 138 के तहत दायर की गई थी और सम्मन आदेश दिनांक 14.05.2012 (पी-6) के विरुद्ध है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

(2) शिकायतकर्ता रथी सेल्स कॉरपोरेशन, सेक्टर 5, माता शीतला मंदिर के पास, गुड़गाँव के मालिक हैं। 17.02.2011 को, शिकायतकर्ता ने श्री मंगत राम और अन्य भूमि स्वामियों/किसानों के साथ उनकी भूमि लगभग 7000/- वर्ग गज, जो गाँव सराय अलावर्दी, तहसील और जिला गुड़गाँव में स्थित है, कुल बिक्री विचाराधीन राशि `8,20,00,000/- (आठ करोड़ बीस लाख) के लिए खरीदने का समझौता किया। बिक्री विलेख के पंजीकरण की तारीख 07.07.2011 को सब-रजिस्ट्रार, गुड़गाँव के कार्यालय में निश्चित की गई थी। 20.06.2011 को, आरोपी/याचिकाकर्ता मनीष जैन ने श्री सुभाष रावल, श्रीराम प्रॉपर्टीज, पाल विहार गुड़गाँव के मालिक के माध्यम से शिकायतकर्ता/प्रतिवादी से संपर्क किया और शिकायतकर्ता से अनुरोध किया कि आरोपी उक्त भूमि में से 6560 वर्ग गज खरीदने में रुचि रखते हैं। आरोपी ने उक्त संपत्ति के लिए `11,28,00,000/- (ग्यारह करोड़ और बीस आठ लाख) की विचाराधीन राशि की पेशकश की। आरोपी ने गवाहों की उपस्थिति में `20,00,000/- (बीस लाख) की अग्रिम राशि दो चेकों के माध्यम से दी। एक रसीद भी शिकायतकर्ता और आरोपी द्वारा निष्पादित की गई और उसे श्री सुभाष रावल ने देखा। आरोपी ने शिकायतकर्ता को वादा किया कि बिक्री विचाराधीन शेष राशि `11,08,00,000/- का भुगतान 07.07.2011 को या उससे पहले किया जाएगा।

(3) आरोपी ने दो चेक दिए, अर्थात चेक संख्या 110481 दिनांक 7.7.2011 को `75,00,000/- (पचहत्तर लाख) और चेक संख्या 110484 दिनांक 7.7.2011 को `40,00,000/- (चालीस लाख) की राशि के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्रेटर कैलाश, भाग-1, नई

दिल्ली की शाखा पर रथी सेल्स कॉरपोरेशन के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में। प्रस्तुति पर, उपरोक्त चेक आरोपी के बैंकर द्वारा "ड्रावर द्वारा भुगतान रोका गया" के विशेष अंकन के साथ अवैतनिक/अनादरित कर दिए गए और इसी संबंध में प्रतिवादी को उसके बैंकर द्वारा 19.11.2011 को सूचना दी गई। उसके बाद, आरोपी को शिकायतकर्ता द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से 30.11.2011 को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट चेक राशि का भुगतान करने को कहा गया। आरोपी ने कानूनी नोटिस के जवाब में दिनांक 07.12.2011 को जवाब दिया। इसलिए शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 138 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपी के खिलाफ शिकायत दायर की और निचली अदालत ने सम्मन आदेश दिनांक 14.05.2012 (पी-6) जारी किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

(4) याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका में शिकायत के साथ-साथ सम्मन आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहा है।

(5) श्री जग्गा, याचिकाकर्ता के लिए वकील, ने तर्क दिया है कि उपरोक्त दो चेक जारी किए गए हैं क्योंकि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के पास पहुँचकर बताया था कि उसने18.02.2011 को M/s अंसल प्रॉपर्टीज औरउद्योग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 29 कनाल 06 मारला की जमीन केसंबंध में बिक्री करने का समझौता किया है, जो कि सराय अलावर्दी के राजस्व एस्टेट में स्थित है, तहसील और जिलागुड़गाँव में, और उक्त समझौते के कार्यान्वयन के कारण, वहउपरोक्त उल्लेखित भूमि को आरोपी/याचिकाकर्ता के पक्ष मेंस्थानांतरित करने की स्थिति में है। उसने आगे आरोपी को बताया कि18.02.2011 के कथित बिक्री समझौते के अनुसार, उसे अपने मनोनीत के पक्ष में जमीन खरीदने का अवरोध-रहितअधिकार प्राप्त है। हालाँकि, 08.07.2011 को, याचिकाकर्ता को18.02.2011 के समझौते (P-2) के बारे में पता चला जो कि M/s अंसल प्रॉपर्टीजऔर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजीव कुमार शर्मा और अन्य के बीच में हुआ था।इस प्रकार, शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा पाया गया। बाद मेंयाचिकाकर्ता/आरोपी को पता चला कि M/s अंसल प्रॉपर्टीज औरउद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने तारीख 26.08.2011 कोगुड़गाँव के सहायक पुलिस आयुक्त के साथ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की किउक्त समझौते को हस्ताक्षरकर्ताओं, यानी संजीव कुमार शर्मा और अन्य के पक्ष मेंअधिकृत करने की कभी अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अपने बैंकरों को उपरोक्त दोचेकों के भुगतान को रोकने के लिए कहा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच में कोई लेन-देन नहीं हुआ और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि अभियोजन केवल तभी संभव है अगर चेक धन की कमी के कारण या व्यवस्था से अधिक होने पर असम्मानित हो। वर्तमान मामले में, चेक उपरोक्त दो कारणों से नहीं बल्कि भुगतान रोके जाने के कारण असम्मानित नहीं हुआ है। समझौते (P-2) के अनुसार, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई भी भूमि स्थानांतरित नहीं कर सका, इसलिए, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दो चेकों के भुगतान को रोक दिया है।

(6) श्री जग्गा ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की थी कि प्रतिवादी ने 75 लाख नकद और क्रमशः 75 लाख और 40 लाख के चेक ले गए थे और याचिकाकर्ता ने अपने बैंकरों को इनके भुगतान को रोकने के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान, पार्टियों के बीच पी-11 और पी-12 के माध्यम से

10.02.2012 को दिए गए याचिकाकर्ता के बयान पर मामले का समझौता हो गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस प्राधिकरणों के सामने मामले के निपटान के संबंध में मुकदमा अदालत को सूचित नहीं किया और इस तरह, मुकदमा अदालत ने गलत तरीके से याचिकाकर्ता को सम्मन किया।

(7) अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि शिकायत प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी जबकि चेक रथी सेल्स कॉरपोरेशन के पक्ष में खींचा गया था। चेक कंपनी द्वारा जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने निदेशक के रूप में हस्ताक्षर किए थे लेकिन शिकायत में कंपनी को पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, शिकायत खारिज की जा सकती है।

(8) मुकदमा अदालत द्वारा धारा 202 सीआरपीसी के तहत विचार किए जाने वाले जांच का संचालन नहीं किया गया और इस प्रकार, 14.05.2012 का सम्मन आदेश इस अदालत द्वारा नेरेटा सिन्हा बनाम पीएस राज स्टील प्राइवेट लिमिटेड मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध है।

(9) याचिकाकर्ता ने पहले सीआरएम-एम-24880 2012 की याचिका दायर की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने 1.5 करोड़ का चेक प्रतिवादी को सौंपा था, जो इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

(10) भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मामलों में अनीता हाडा बनाम एम/एस गॉडफादर ट्रैवेल्स और टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, अनिल गुप्ता बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य और इस अदालत द्वारा विजय कुमार बंसल और अन्य बनाम शिव कुमार ग्रोवर मामले में पारित निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अनादरण की शिकायत में, बिना कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल किए निदेशक का अभियोजन, शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है। प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्यवाही कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल किए बिना जारी नहीं रखी जा सकती, धारा 138 के साथ पढ़ी गई धारा 141 के तहत।

(11) अन्नेता हाडा के मामले में (उपरोक्त), माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 85 के साथ निपटते हुए कहा है कि निदेशकों का बिना कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल किए बिना अभियोजन नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा 85 के तहत निदेशक के अभियोजन के लिए कंपनी को एक आरोपी के रूप में शामिल करना एक अनिवार्यता है।

(12) वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय में पारित फैसले की और चर्चा की है जो कि अधिकारी बनाम पोनराज के मामले में थी, झारखंड उच्च न्यायालय में शाहिद अली बनाम झारखंड राज्य और अन्य 6 के मामलों में, राशिद अली बनाम झारखंड राज्य और अन्य, कर्नाटक उच्च न्यायालय में डॉ. गीता बनाम वेसंती एस. शेट्टी के मामले में, और इस बिंदु पर कि चेक के असम्मान की तारीख के 15 दिनों के भीतर चेक प्राप्तकर्ता को मांग नोटिस जारी करने पर कारण उत्पन्न होता है। धारा 138 (बी) और (सी) की आवश्यकता अनिवार्य है।

13) नोटिस पर, प्रतिवादी द्वारा एक जवाब दाखिल किया गया है जो इनकार करता है कि प्रतिवादी ने 18.02.2011 की तारीख के समझौते में M/s अंसल प्रॉपर्टीज और उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के साथ गाँव सराय अलावर्दी, तहसील और जिला गुड़गाँव की राजस्व

एस्टेट में स्थित भूमि के संबंध में प्रवेश किया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रसीद (P-1) एक जाली और गढ़ी हुई दस्तावेज है जो प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं रखती है। प्रतिवादी ने श्री मंगत राय और अन्य भूमि स्वामियों/किसानों के साथ उनकी लगभग 7000 वर्ग गज की भूमि खरीदने के लिए समझौता किया था जो कि गाँव सराय अलावर्दी, तहसील और जिला गुड़गाँव की राजस्व एस्टेट में स्थित है, कुल बिक्री विचार राशि `8 करोड़ 20 लाख के लिए। बिक्री दस्तावेज़ के पंजीकरण की तारीख 7.7.2011 और 8.8.2011 को सब रजिस्ट्रार गुड़गाँव के कार्यालय में निश्चित की गई थी। समझौते की एक धारा ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी अपने नाम या उसके किसी मनोनीत या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बिक्री दस्तावेज़ पंजीकृत करवा सकता है, जिसके लिए Annexure R-1 और R-2 के अनुसार कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बीच, याचिकाकर्ता उपरोक्त भूमि के 6560 वर्ग गज का खरीदने के लिए प्रतिवादी के पास पहुँचा। आरोपी ने उपरोक्त संपत्ति के लिए `11,28,00,000/- (ग्यारह करोड़ और इक्कीस लाख) की विचार राशि की पेशकश की। आरोपी ने `20,00,000/- (बीस लाख) की अग्रिम राशि दो चेकों के माध्यम से गवाहों की उपस्थिति में दी। एक रसीद भी शिकायतकर्ता और आरोपी द्वारा निष्पादित की गई थी और उसे श्री सुभाष रावल द्वारा गवाही की गई थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को वादा किया कि शेष बिक्री विचार राशि का `11,08,00,000/- का भुगतान 07.07.2011 (R-3) को या उससे पहले किया जाएगा। आरोपी ने दो चेक जारी किए जिनका नंबर 110481 था जिसे 7.7.2011 को डेट किया गया था, जिसकी राशि `75,00,000/- (सत्तर लाख) थी और चेक नंबर 110484 जो कि 7.7.2011 को डेट किया गया था, जिसकी राशि `40,00,000/- (चालीस लाख) थी, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, शाखा ग्रेटर कैलाश, पार्ट-आई, नई दिल्ली पर खींचे गए थे, रथी सेल्स कॉर्पोरेशन के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में। प्रस्तुतीकरण पर, उपरोक्त चेक आरोपी के बैंकर द्वारा असम्मानित/अवैतनिक किए गए थे जिसमें विशेष अंतर्ज्ञापन "भुगतान दराज़ द्वारा रोका गया" था और इसी के बारे में प्रतिवादी को उसके बैंकर द्वारा 19.11.2011 को सूचना दी गई थी। इसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को 30.11.2011 को कानूनी नोटिस जारी किया गया था कि कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान किया जाए, जैसा कि अधिनियम की व्यवस्थाओं में निर्धारित है। आरोपी ने दिनांक 07.12.2011 को कानूनी नोटिस का जवाब दिया और राशि का पुनः भुगतान नहीं करने की स्थिति बताई। प्रतिवादी ने पुलिस कमिश्नर, गुड़गाँव को दिनांक 22.11.2011 को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए धोखाधड़ी और प्रश्नित चेक के उछलने और याचिकाकर्ता द्वारा बाकी राशि की मांग के लिए गुंडा तत्वों को काम पर रखकर दी गई गालियों और धमकियों के संबंध में एक शिकायत भी प्रस्तुत की। प्रतिवादी ने पहले पुलिस स्टेशन पालम विहार, गुड़गाँव के एस.एच.ओ से याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 22.11.2011 को पुलिस कमिश्नर गुड़गाँव को दी गई शिकायत की प्रति अनुलग्नक R-4 है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच दिनांक 20.06.2011 को श्री सुभाष रावल, मालिक श्री राम प्रॉपर्टीज के माध्यम से गाँव सराय अलावर्दी, तहसील और जिला गुड़गाँव में स्थित 6560 वर्ग गज जमीन के संबंध में एक सौदा 11,28,00,000/- के कुल बिक्री विचाराधीन राशि के लिए किया गया था। 20 लाख गंभीरता धन के रूप में दिए गए और आरोपी ने शिकायतकर्ता को वादा किया कि बिक्री विचाराधीन शेष राशि `11,08,00,000/- का भुगतान दिनांक 07.07.2011 को या उससे पहले किया जाएगा।

(14) आरोपी ने दो चेक जारी किए हैं यानी चेक नंबर 110481 जिसे 7.7.2011 को दिनांकित किया गया था जिसकी राशि `75,00,000/- (सत्तर लाख) और चेक नंबर 110484 जिसे भी 7.7.2011 को दिनांकित किया गया था जिसकी राशि `40,00,000/- (चालीस लाख) थी, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, शाखा ग्रेटर कैलाश, पार्ट-आई, नई दिल्ली में खींचे गए थे, रथी सेल्स कॉर्पोरेशन के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में। प्रस्तुतीकरण पर, उपरोक्त चेक आरोपी के बैंकर द्वारा असम्मानित/अवैतनिक किए गए थे जिसमें विशेष अंतर्ज्ञापन "भुगतान दराज़ द्वारा रोका गया"था और इसी के बारे में प्रतिवादी को उसके बैंकर द्वारा 19.11.2011 को सूचना दी गई थी।

(15) प्रतिवादी ने आगे यह भी कहा है कि 17.02.2011 की कोई समझौता (P-2) नहीं है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दिखाया गया था और प्रतिवादी का उस समझौते से कोई लेना-देना नहीं है। अनुबंध R-3 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच में सराय अलावर्दी के गाँव मंगत राम, बलवान सिंह आदि के स्वामित्व वाली लगभग 6560 वर्ग गज की प्लॉट के बिक्री के लिए समझौता हुआ था और उपरोक्त दो चेकों के असम्मान के संबंध में शिकायत (P-13) दायर की गई थी। याचिकाकर्ता तथ्यों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है जिसमें 18.02.2011 की तारीख का समझौता (P-2) का हवाला देकर जो कि प्रतिवादी द्वारा कभी याचिकाकर्ता को दिखाया नहीं गया था और प्रतिवादी का उस समझौते से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह आगे बताया गया है कि`1.5 करोड़ के चेक के संबंध में शिकायत के बारे में, शिकायत को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और इसी अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई CRM-M-24880 की याचिका को 04.10.2012 को इस अदालत द्वारा अनुत्पादक होने के नाते खारिज कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया यह तर्क कि उसने शिकायतकर्ता को `1.5 करोड़ का चेक दिया था, खारिज किए जाने योग्य है।

(16) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि यह आपत्ति दूर करने के लिए कि शिकायत कंपनी के खिलाफ दायर नहीं की गई है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन परीक्षण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है ताकि कंपनी को पक्ष के रूप में शामिल किया जा सके, जो विचाराधीन है।

(17) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 8 के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जहाँ संविधान पीठ ने धारा 319 सीआरपीसी के प्रावधानों पर विचार किया और यह माना कि धारा 319 सीआरपीसी की उत्पत्ति डॉक्ट्रिन judex damnatur cum nocens absolvitur (जब दोषी को बरी किया जाता है तो न्यायाधीश निंदित होता है) से होती है और इस डॉक्ट्रिन का उपयोग धारा 319 सीआरपीसी के परिवेश और उसके प्रावधान के अंतर्निहित भावना की व्याख्या करते समय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए। पूरी कोशिश यह होती है कि असली अपराधी को दंड से बचने न दिया जाए। यह भी निष्पक्ष मुकदमे का हिस्सा है और हमारी राय में, इसी अंत को प्राप्त करने के लिए विधानसभा ने धारा 319 सीआरपीसी के प्रावधानों को समाहित करने का विचार किया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक और सार्थक व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो न्याय के कारण को आगे बढ़ाता है और न्यायालय को

शक्तियाँ प्रदान करने वाले विधान के इरादे को कमजोर नहीं करता है ताकि उपरोक्त घोषित उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा किया जा सके और व्यक्ति को न्यायालय की संतुष्टि के लिए अपराध के संचालन में सहायक के रूप में मुकदमा चलाया जा सके जो कि परीक्षण का विषय है।

(18) पक्षों के लिए सीखे हुए वकील को सुना गया।

(19) जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है वे यह हैं कि प्रतिवादी सुरिंदर सिंह, राठी सेल्स कॉर्पोरेशन के मालिक के साथमंगत राम, बलवान सिंह आदि ने 20.06.2011 को M/s संतुर सिटीप्राइवेट लिमिटेड के साथ जिसके वर्तमान याचिकाकर्ता निदेशक थे, `11,28,00,000/- की राशि के लिए 6560 वर्ग गज की भूमि बेचने के लिए समझौता किया था। बिक्री विलेख के पंजीकरण की अंतिम तिथि 07.07.2011 के रूप में निश्चित की गई थी। शिकायतकर्ता ने M/s संतुर सिटी (R-3) के निदेशक होने के नाते याचिकाकर्ता से `20,00,000/- की गंभीरता मनी प्राप्त की। 22.11.2011 को प्रतिवादी द्वारा गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ, उसके द्वारा किए गए धोखाधड़ी और उपर्युक्त दोनों चेकों के बाउंस होने और याचिकाकर्ता द्वारा गुंडा तत्वों को किराए पर लेकर दी गई गालियों और धमकी के संबंध में, तथा 20.06.2011 की तारीख के सौदे के संबंध में शेष राशि की मांग के बारे में भी एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

(20) हालांकि, याचिका में याचिकाकर्ता ने 07.07.2011 की तारीख वाला एक रसीद दर्ज किया है जिसमें शिकायतकर्ता ने 18.02.2011 की तारीख के समझौते में M/s अंसल प्रॉपर्टीज & उद्योगों के साथ 29 कनाल 06 मारला की जमीन के संबंध में सराय अलावर्दी गाँव, तहसील और जिला गुड़गाँव में स्थित है। इस प्रतिनिधित्व पर, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से `1.5 करोड़ की माँग की और आरोप लगाया कि उपरोक्त समझौते के आधार पर, प्रतिवादी उपरोक्त जमीन की बिक्री याचिकाकर्ता के पक्ष में करेगा, जो कि M/s संतुर सिटी के निदेशक हैं। याचिकाकर्ता ने M/s संतुर सिटी (P-1) से `1,50,00,000/- (`75,00,000/- नकद और `75,00,000/-, चेक नंबर 110481 दिनांक 07.07.2011 के जरिए) का भुगतान किया। हालांकि, प्रतिवादी ने अपने लिखित में इस तथ्य का खंडन किया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रसीद (P-1) एक जाली और निर्मित दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रतिवादी ने भूमि मालिकों/किसानों श्री मंगत राय और अन्यों के साथ अनुबंध किया था कि वे अपनी जमीन जो कि लगभग 7000 वर्ग गज में स्थित है और सराय अल्लावर्ड्स के राजस्व एस्टेट, तहसील और जिला गुड़गाँव में है, को `8 करोड़ 20 लाख की कुल बिक्री विचार राशि के लिए खरीदेंगे। बिक्री दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख 7.7.2011 और 8.8.2011 को गुड़गाँव के उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में तय की गई थी।

(21) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील श्री जग्गा ने आगे न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने पहले सीआरएम-एम-24880 का 2012 दायर किया था जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को `1.5 करोड़ का चेक सौंपा था, जिसे

निरर्थक हो चुके होने के कारण खारिज कर दिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई आपराधिक शिकायत संख्या 1391/2012 दिनांक 10.01.2012 में बरी कर दिया गया था।

(22) 08.07.2011 को, याचिकाकर्ता ने एम/एस संतूर सिटी की ओर से स्टैंडर्ड बैंक, ग्रेटर कैलाश, भाग-1, नई दिल्ली को एक पत्र लिखकर बैंक को उपरोक्त दो चेकों के `75 लाख और `40 लाख के भुगतान को रोकने का निर्देश दिया, जो याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कंपनी की ओर से जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता, उसकी कंपनी और सहोदर कंपनियां सभी उसी बैंक यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ अपने खाते बनाए हुए हैं जहाँ से प्रश्नित चेक जारी किए गए थे। चेक जारी करते समय, उस तारीख पर, याचिकाकर्ता और कंपनी के खातों में संयुक्त रूप से पर्याप्त बैलेंस था और इसके अलावा `1 करोड़ से अधिक की एक एफडीआर भी थी। बैंक के विवरण अनुलग्नक पी-5 हैं। याचिकाकर्ता अपने दो चेकों को बचाने में सफल रहा लेकिन `75 लाख का भुगतान उसने नकद में प्रतिवादी को किया था। इस प्रकार, 14.11.2011 को, याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से प्रतिवादी को एक कानूनी नोटिस जारी किया, `75 लाख की वापसी का दावा करते हुए, जो उसने विश्वास तोड़ते हुए याचिकाकर्ता से नकद में धोखाधड़ी से प्राप्त किया था (पी-6)। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के साथ एक शिकायत दायर की, उसे प्रतिवादी के खिलाफ एक एफ.आई.आर पंजीकृत करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी की थी (पी-6)।

(23) प्रतिवादी ने भी एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें तुच्छ आरोप लगाए गए थे कि कुछ राशि याचिकाकर्ता द्वारा दी जानी थी और उपरोक्त `1.90 करोड़ की राशि उसी के बदले में दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ (पी-11 और पी-12), जो दिखाता है कि पक्षों के बीच मामला मैत्रीपूर्ण तरीके से हल हो गया था और याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की थी कि वह राठी सेल्स कॉर्पोरेशन के मालिक सुरेंदर राठी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन पक्षों के बीच समझौता होने के बाद, प्रतिवादी ने 10.01.2012 को एक शिकायत (पी-13) दायर की, जो चेकों के अनादर के कारण थी और याचिकाकर्ता को 14.05.2012 को जारी एक आदेश (पी-14) के माध्यम से तलब किया गया। शिकायत के साथ संलग्न दो चेकों की जांच से पता चलता है कि उस पर M/s संतुर सिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने के नाते याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे। अब यह विवाद में नहीं है कि M/s संतुर सिटी प्राइवेट लिमिटेड ही थी जिसने M/s राठी सेल्स कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया था, यहां तक कि पैसे की रसीद अनुलग्नक आर-3 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी कंपनी की ओर से गंभीरता मनी दी थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अपनी कंपनी की ओर से 07.12.2011 को 30.11.2011 की तारीख के कानूनी नोटिस के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी थी।

(24) प्रश्नों में चेक कंपनी द्वारा जारी किए गए थे और याचिकाकर्ता द्वारा कंपनी के निदेशक होने के नाते कंपनी की ओर से हस्ताक्षरित किए गए थे। जिस खाते से चेक खींचा गया था, वह खाता कंपनी के नाम पर है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के

अनुसार, यह कंपनी है जिसे चेकों के असम्मान के कारण अपराध करने वाला माना जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 138 (अ) (ब) और (स) और धारा 141 इस प्रकार पढ़ती है:-

भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम**, 1881** की धारा **138**

138 खाते में धन की अपर्याप्तता, आदि के कारण चेक का अनादरण। — जब कोई व्यक्ति किसी बैंकर के साथ बनाए गए खाते पर किसी चेक को आहरित करता है ताकि उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए कोई राशि का भुगतान किया जा सके और उस चेक को बैंक द्वारा या तो इसलिए अदा नहीं किया जाता क्योंकि उस खाते में जमा धनराशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त होती है या फिर वह राशि उस खाते से भुगतान की जाने वाली व्यवस्थित राशि से अधिक होती है जिसे उस बैंक के साथ किए गए किसी समझौते के तहत भुगतान किया जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने के लिए माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को प्रभावित किए बिना, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, या दोनों से: बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा जब तक—

(अ) चेक को उसे आहरित करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया गया हो;

(ब) चेक का भुगतान धारक या उचित अवधि में चेक का धारक, जैसा कि मामला हो, बैंक से चेक के अदा नहीं किए जाने के बारे में सूचना मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर, चेक के आहर्ता को लिखित सूचना देकर उक्त राशि का भुगतान करने की मांग करता है; और

(स) ऐसे चेक के आहर्ता द्वारा उक्त सूचना प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान पानेवाले को या, जैसा मामला हो, चेक के उचित अवधि में धारक को नहीं किया जाता है।"

धारा 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अधिनियम, 1881 में कंपनियों द्वारा अपराधों के लिए प्रावधान हैं:

141. (1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो उस समय हर व्यक्ति जो कंपनी के लिए व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, और जिसे कंपनी के लिए उत्तरदायी माना जाता था, उसे भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार सज़ा दी जा सकती है: प्रदत्त यह कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी उस व्यक्ति को सज़ा के लिए दायी नहीं बनाएगा अगर वह यह साबित कर दे कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी: 22 [यह आगे प्रदान किया गया है कि जहां एक व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी वित्तीय कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, वह इस अध्याय के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।]

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से, या किसी पर लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार सज़ा दी जा सकती है।

व्याख्या— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(a) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या अन्य व्यक्तियों का संघ शामिल है; और

(b) "निदेशक", एक फर्म के संबंध में, का अर्थ है फर्म में एक साझेदार।

उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल करना अनिवार्य है। अन्य श्रेणी के अपराधी केवल परोक्ष दायित्व के मानक के आधार पर जाल में लाए जा सकते हैं, जैसा कि प्रावधान में स्वयं निर्धारित किया गया है। हम ऐसा C.V. Parekh (सुप्रा) में निहित अनुपात के आधार पर कहते हैं, जो कि एक तीन न्यायाधीश पीठ का निर्णय है। इस प्रकार, Sheoratan Agarwal (सुप्रा) में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कानून को सही ढंग से नहीं बताता है, और इसी अनुसार, यहाँ खारिज किया जाता है। Anil Hada (सुप्रा) का निर्णय भी पैराग्राफ 37 में व्यक्त योग्यता के साथ खारिज किया जाता है। Modi Distilleries (सुप्रा) के निर्णय को हमारे द्वारा यहाँ व्याख्यान के अनुसार अपने तथ्यों तक सीमित माना जाना चाहिए।"

(25) अनेटा हदा के मामले में (सुप्रा), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान के संबंध में निपटते हुए पैराग्राफ 42 और 43 में यह निर्णय दिया है:-

"हमने उपरोक्त उद्धरणों का उल्लेख केवल इसलिए किया है ताकि यह उजागर किया जा सके कि विधानी इरादे के अनुसार प्रावधानों का सख्त पालन होना चाहिए क्योंकि यह दंडात्मक प्रावधानों से निपटता है और जब तक व्यक्तियों को, चाहे वे न्यायिक इकाइयाँ हों या व्यक्ति, आरोपी के रूप में शामिल न किया जाए, तब तक उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह ध्यान में रखना होगा कि दंड की शक्ति विधायिका में निहित है और वह अधिनियम की धारा 141 में पूर्ण है जो स्पष्ट रूप से कंपनी द्वारा अपराध के संचालन की बात करती है। प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों ने जोरदार तरीके से तर्क दिया है कि अनुभाग में उपयोग किया गया शब्द 'साथ ही' का बहुत महत्व है और, इसकी पहुंच में, यह कंपनी के साथ ही निदेशक और/या अन्य अधिकारियों को भी लाता है जो कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं और, इसलिए, यदि कंपनी को आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया जाता है तो भी निदेशकों या अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन टिकाऊ है। 'साथ ही' शब्दों को संदर्भ में समझना होगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाम पीरलेस जनरल फाइनेंस और निवेश कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1987) 1 SCC 424 में यह निर्णय दिया गया है कि पूरे अधिनियम को पहले संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, फिर अनुभाग दर अनुभाग, उपधारा दर उपधारा, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द। यही

सिद्धांत दीवान सिंह और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद आरदेवी 2007 (10) SCC 528 और सरबजीत रिक सिंह बनाम भारत संघ, 2008 (2) SCC 417 में दोहराया गया है। सख्त निर्माण सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि कंपनी द्वारा अपराध का संचालन दूसरों की विकारी दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट पूर्व शर्त है। इस प्रकार, अनुभाग में दिखाई देने वाले 'साथ ही कंपनी' शब्द यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि जब कंपनी का अभियोजन किया जा सकता है, तब ही अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति अपराध के लिए विकारी रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, यह याचिका में आरोपों और उनके प्रमाण के अधीन है। हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। अगर उसके खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो यह उसकी प्रतिष्ठा में गर्त बना देगा। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब एक निदेशक के आरोपित होने पर कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा